भाग क

राजस्व प्राप्तियां

निम्नलिखित विवरण में वर्ष 2004-2005 के लिए स्थूल श्रेणीवार राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव सम्मिलित है। इस विवरण के बाद दी गई टिप्पणियों में विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे भी दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 2002-2003 के बीच अंतर और संशोधित अनुमानों तथा 2003-2004 के बजट अनुमानों के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे दिनांक 1/4/1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया हैं, के अनुसार क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों पर अधिभार तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी उपकर को छोडकर केंद्र की सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाएंगें तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जैसा निर्धारित किया जाए उस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का तरीका ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित किया गया है।

(करोड़ रुपए)

		बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
I.	**कर राजस्व**			
	निगम कर	51499	62986	88436
	आय पर कर	44070	40269	50929
	धन कर	145	145	145
	सीमा शुल्क	49350	49350	54250
	संघ उत्पाद शुल्क	96791	92379	109199
	सेवा कर	8000	8300	14150
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर	557	594	624
	अन्य कर	1115	900	...
	जोड़-कर राजस्व	**251527**	**254923**	**317733**
	जिसमें से व्यय के एवज में घटाया गया (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) को वित्तपोषित करने के लिए अधिभार)	3600	1600	1600
	सकल कर राजस्व का शेष	247927	253323	316133
	घटाइए-राज्यों का हिस्सा#:	**63758**	**65784**	**82227**
	केन्द्र का निवल कर राजस्व	**184169**	**187539**	**233906**
II.	**कर-भिन्न राजस्व**			
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	57021	58080	55825
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	546	578	618
	अन्य कर-भिन्न राजस्व	12199	16830	18973
	जोड़-कर-भिन्न राजस्व	**69766**	**75488**	**75416**
	निवल-केन्द्र का राजस्व	**253935**	**263027**	**309322**

 # केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्से का राज्यन्वार वितरण अनुबंध-I में दर्शाया गया है।